न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व वादपत्र संख्या : 51/2018

वादीः–	बनाम	प्रतिवादीगणः–
1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र शिवसिंह जाति–राजपूत निवासी– पालियावास तहसील– जैतारण जिला–पाली राज.।		1. राजेन्द्र पुत्र शिवसिंह 2. गिरधारीसिंह पुत्र रिडमलसिंह 3. रेखा कंवर पत्नी भरतसिंह 4. भरतसिंह पुत्र गिरधारीसिंह 5. तहसीलदार, जैतारण 6. पटवारी, पटवार हल्का रास द्वितीय 7. उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख रजू 16/02/2018

उपस्थितः–

1. श्री हरिओम पारीक , अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, सुनिल प्रजापति, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 09/12/2019

वकील प्रार्थी/प्रतिवादीगण संख्या 02 से 04 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी विरूद्ध वादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी ने एक वादपत्र बंटवाड़ा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि–सरहद मौजा पालियावास पटवार हल्का रास द्वितीय में स्थित कृषि भूमि जिसका अंकन वादपत्र के पद संख्या 01 में दिया व उक्त आराजी का बंटवाड़ा किया जावे। इस आशय की इस्तदुआ वादी ने अपने वादपत्र में चाही तथा दिनांक 05.02.2018 को बिनाय वाद पैदा होने का अंकन करते हुये यह तथ्य अंकित किया कि बिनाय वाद दिनांक 05.02.2018 को बमुकाम ग्राम पालियावास में प्रतिवादीगण को पुनः विधिक रूप से बराबर बंटवाड़ा करने का कहने पर पैदा हुआ। इस अनुरूप वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर दिया जो दर्ज रजिस्ट्रर होकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता उक्त प्रकरण में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर वकालतनामा पेश किया। वर्तमान में पत्रावली वास्ते जवाब हेतु विचाराधीन है। वादी द्वारा वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी का बंटवाड़ा दिनांक 15.02.2013 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2013 में सुशासन अपना खाता अपना खेत अभियान जिला–पाली आपसी सहमति बंटवाड़ा में इन पक्षकारान ने बंटवाड़ा कर लिया एवं प्रशासन

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

गावं के संग जो बंटवाड़ा किया गया उसमें बंटवाड़ा के अनुसार नजरी नक्शा तैयार कर वादी एवं प्रतिवादीगण ने अपने हस्ताक्षर रूबरू साक्षीगण के किया, एवं जिसका सत्यापन सरपंच ग्राम पंचायत रास ने किया। एवं हल्का पटवारी ने बंटवाड़ा का प्रारूप सभी पक्षकारान व भूमिधारी तहसीलदार जैतारण के समक्ष पेा किया जो बंटवाड़ा सभी पक्षकारान ने देख पढ लिख सुन समझकर अपने हस्ताक्षर कर इस बंटवाड़ा कर उसको राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवा लिया। तो जब वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा सन् 2013 में सक्षम राजस्व ऑथरिटी ने कर दिया एवं बंटवाड़ा वादी ने स्वयं ने उपस्थित होकर करवा दिया एवं उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड में भी कर दिया तो अब जब वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के बीच में शामलाती नहीं रही तो पुनः बंटवाड़ा का वादपत्र प्रस्तुत करना बार्ड बाई लॉ है। क्योंकि जब वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में एवं मौके पर अलग-अलग बंटी हुई है तो राजस्व न्यायालय बंटवाड़ा की हुई आराजी का पुनः बंटवाड़ा नहीं कर सकता है। क्योंकि यदि वादी प्रशासन गांव के संग अभियान से असहमत है तो उस आपी सहमति से जो बंटवाड़ा की डिक्री पारित हुई है उसको सिविल न्यायालय में चैलेंज करना चाहिए था। राजस्व न्याालय को आपसी सहमति से किये गये बंटवाड़ा की डिक्री को निरस्त कर पुनः बंटवाड़ा करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। एवं जब वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा सन 2013 में हो गया तो दिनांक 05.02.2018 को किसी तरह का बिनाय वाद पैदा नहीं होता है। इसलिए बिनाय वाद के अभाव में वादी का वादपत्र बार्ड बाई लॉ होने से काबिल खारिज के है। वादी जो यह वादपत्र लेकर आया है उसने स्वयं ने दिनांक 11.02.2013 को एक 100/रु रूपये का स्टाम्प का पेपर खरीद किया एवं उस पर स्वयं ने आपसी सहमति का बंटवाड़ा लिखवाकर प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 के हस्ताक्षर करवाये एवं साक्षी के रूप में पप्पू काठात एवं रामदेव गुर्जर के हस्ताक्षर करवाये एवं वह स्टाम्प पेपर जिस पर आपसी सहमति का बंटवाड़ा लिखा गया उसको सभी पक्ष्कारान की सहमति से तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया एवं तहसीलदार जैतारण ने विधिवत रूप से हल्का पटवारी ने नजरी नक्शा तैयार करवाकर स्वयं तहसीलदार ने नजरी नक्शा एवं वादी द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति का जो बंटवाड़ा लिखा गया उसके अनुसार मौके एवं राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर उनके खाते अलग दर्ज किये गये एवं मौकें पर नेखमबंदी कर पत्थरगढी की गई एवं राजस्व रेकर्ड में भी पक्षकारान के हिस्से अलग किये गये है। जो इस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत आपसी सहमति का बंटवाड़ा प्रार्थना पत्र में वर्णित है तो जब दिनांक 05.02.2018 को वादपत्र के पद संख्या 01 में वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज है उसका बंटवाड़ा हो रखा है तो पुनः बंटवाड़ा का बिनाय वाद पैदा नहीं हो सकता है जब राजस्व एजेन्सी ने एक बार पक्षकारान की सहमति से बंटवाड़ा कर दिया तो उसको पुनः राजस्व न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बार्ड बाई लॉ है। जिसे खारिज फरमावे।

वकील प्रार्थी/वादी जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर बहस हेतु तैयार रहने से बहस वकुलाय की सुनी गई।

हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। वाद-पत्र के पैरा 02 में वादी ने कथन किया है कि "दिनांक 15.02.2013 प्रशासन गांवों के संग अभियान में रास में वादी की अनुपस्थिति में संबंधित पटवारी ने वादी की सहमति के बिना जो म्यूटेशन संख्या 512 दिनांक 01.01.2014 पारित किया है, जो गैरकानूनी है जिसे निरस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 व प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 का 1/2 हिस्सा विधिक तौर पर आता है, प्रतिवादीगण संख्या 02 के द्वारा 03 व 04 को किया गया हस्तांतरण अवैध है जिसे निरस्त घोषित किया जावे।" इसी प्रकार वादपत्र के पैरा संख्या 03 में कथन है कि "बंटवाड़ा और म्यूटेशन संख्या 512 अवैध है, उक्त संपूर्ण आराजी का पुनः बंटवाड़ा किया जाना आवश्यक है, इसलिए तकासमा वादपत्र खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश है।" पैरा संख्या-07 में वादी ने वादहेतुक कथन करते हुए अंकित किया है कि "बिनाय दावा दिनांक 05.02.2018 को बमुकाम ग्राम-पालियावास में प्रतिवादीगण को पुनःविधिक रूप से बराबर बंटवाड़ा करने का कहने पर पैदा हुआ जो अंदर म्याद पेश है।"

हमनें पत्रावली पर उपलब्ध उक्त वादग्रस्त आराजी के सहमति से हुए बंटवारे पत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी सुरेन्द्रसिंह द्वारा उक्त सहमति पर हस्ताक्षर किए गए है तथा 100 रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित सहमति के आधार पर बंटवाड़ा पत्र पर भी वादी सुरेन्द्रसिंह द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जिसपर पप्पु काठात एवं रामदेव गुर्जर द्वारा बतौर साक्षी हस्ताक्षर है तथा उक्त सहमति पत्र के आधार पर तहसीलदार, जैतारण द्वारा इसे स्वीकृत करने हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करनें के निर्देश दिए गए हैं जिसकी पालना में उक्त प्रश्नगत नामांतरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2014 स्वीकृत किया गया है तथा वर्तमान में उक्त बंटवाड़े के अनुरूप खातेदारान का पृथक-पृथक खाता दर्ज है।

इस प्रकार हस्तगत प्रकरण के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रथम तो पक्षकारों के मध्य सहमति के आधार पर शपथ-पत्र पर निष्पादित एवं तहसीलदार द्वारा स्वीकृत बंटवाड़ा को एवं उसकी अनुपालना में स्वीकृत किए गए नामांतरण को निरस्त घोषित करनें का क्षेत्राधिकार सहायक कलक्टर को प्राप्त नहीं है और न ही तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामांतरणों की अपील सहायक कलक्टर के समक्ष की जा सकती है, जबकि वाद-पत्र के पैरा 02 व 03 में वादी ने स्पष्टतया यह मुख्य अनुतोष चाहा है कि सहमति के बंटवाड़े एवं नामांतरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2014 को निरस्त घोषित किया जावें। इससे यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण हाजा में कोई वाद-हेतुक भी उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान में अविभाजित संयुक्त खातेदारी भूमि नहीं है, अतः विभाजन का दावा प्रस्तुत किया जाना या उस पर विचारण किए जानें का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है,अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी स्वीकार किए जाने योग्य है।

–:: आदेश ::–

निष्कर्षतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादग्रस्त आराजी अविभाजित संयुक्त खातेदारी की न होनें, पक्षकारान द्वारा शपथ–पत्र पर निष्पादित सहमति बंटवारा पत्र जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है, को निरस्त घोषित करनें एवं तहसीलदार, जैतारण द्वारा स्वीकृत नामांतरण संख्या 512 दिनांक 01.01.2014 को घोषित करनें की क्षेत्राधिकारिता न होनें एवं ऐसे अनुतोष के लिए सहायक कलक्टर के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के लिए वाद–हेतुक उत्पन्न ही न होनें के कारण प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/प्रतिवादी अंतर्गत धारा 151 सपठित आदेश–07, नियम–11 भली–भांति साबित होता है लिहाजा उपर्युक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए वाद–पत्र वादी नामंजूर किया जाता है। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 09/12/2019 को सरे इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–पाली)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2019.12.20 16:08:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: